## To whomsoever it may concern

## Declaration for authorized signatory

We, Mahesh Chandra Jain and Abhishek Agarwal (Partners of "Paloma Realty LLP") hereby solemnly authorize Mr. Abhishek Agarwal (PARTNER) to act as primary authorized signatory of our firm "Paloma Realty LLP" FOR GST Registration Mr. Abhishek Agarwal (PARTNER) of Paloma Realty LLP is authorized to sign all the necessary applications undertakings and such other documents as may be necessary and compliances on behalf of the firm,

All his actions in relation to this business will be binding on us

1. Mahesh Chandra Jain

(Partner) Yosker Clarette Vest

2. Abhishek Agarwal

(Partner) Wletishin to accounce)

Date: 01,02,2022

Place: Kanpur, U.P

## Certificate No.

Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
First Party
Second Party

## IN-UP-1725/178196993U

04-Feb-2088-04:54 PM

NEWIMPACC (SV)/Up14243804/ KANPUR SADAR/ UP-KNP SEJEIN-URUP1424360425034101604738U

PANNALAN MAMESH CHANDRA

Article & Sortenger of Memorandum of

Agreement

PANNALAR MACHESH CHANDRA

PARINALA MARKER SHANDRA

(One stringted dollar

Stamp Duty Amount(Rs.

Stamp Duty Paid By



भेत जनमे



। इकरारनामा बावत किरायेदारी ।।

अनिकि श्रीमती अकुन्तला जैन पत्नी अपि महेश वन्द्र क्षेन निवासी 55

नयामंज, कानपुर

पार्टनर पन्नालाल महेश चन्द्र, 80/52,

77. 7 . 7.

The Your formation that the training

किराक्षेदार / द्वितीयपक्षगण

हो कि प्रथमपक्ष के पास एक फ्लैट नं0—206 जो 60 / 52, नथांगज, कानपुर तल में स्थित है, जो द्वितीयपक्ष बाबत किराये पर लेना चाइता है, जिसकी शर्त निम्न खिदित

- रूपये) प्रतिषाह तय हुआ है। द्वितीयपक्षकार इस हाल को आफिस कार्थ हेतु प्रयोग किराया 5000/- रुं० (मात्र पांच यह कि उक्त किसमेदारी काले भाग का में त्वायेगा।
- 31.12.2022 होकर ور رئ समाप्त होगी। यह अनुबन्ध ११ मार्स के लिये मान्य है। यह कि उक्त किस्पेयदारी दिसंक 01.02.2022 से તાં
- किरायेदारी की जगह का कब्ज़ा व दख़ल प्रथमपक्षकार को ही वापस करेगा। द्वितीयपक्षकार उक्त किस्येदारी की मियाद समाप झेने यह कि က

यह कि ड्रितीय पक्षकार अवशेक्त किरायेनारी वाले माम में किसी प्रकार की कोई त्रोडफोड नहीं करेगा और न ही उसका कब्जा किसी को हस्तान्तरित करेगा और न किसी शिक्षी किएश्वेदार को डी रखेंगे। दूर फूट आदि की चूरी जिम्मेदारी निर्द्धितीयपक्षकार की होथी और उसकी मरम्मत आदि का खर्चा रक्यं वहन

यदि द्वितीयपक्षकार जो भी विजली का उपयोग करेगा उसका भुगतान स्वयं करना क्षीमा

TIME TO

इस अनुबन्ध पत्र की वाबन्दी प्रथमदक्ष व द्वितीयपक्ष और उनके वारिसानों पर लागू होगी, अतः दोनो पक्षकारों ने अपने स्वरक्ष मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों की स्वरस्य दशा मे में अपने अपने हस्ताक्षर समक्ष मंबाहान कर दिये ताकि सनद रहे और जरूरत बिना किसी नाजायज दबाद के अपने पूरे होशो हदास की दशा में इस अनुबन्ध काम आवे।

77. (中) गवाहः

Naker

のがなるとから

द्वितीयपक्ष